ई0प0सं0 42913/2023

प्रेषक,

कर्मेन्द्र सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांकः फरवरी, 2024**

विषय :– जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी के हरिपुर कर्नल, आवास विकास एवं सुभाषनगर के अवशेष भाग हेतु सीवरेज योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पत्रांक 386/नागर अनु0/ नगरीय सा0/124 दिनांक 05 नवम्बर, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी के हरिपुर कर्नल, आवास विकास एवं सुभाषनगर के अवशेष भाग हेतु सीवरेज योजना की टी0ए0सी0 नियोजन विभाग, विभागीय समिति द्वारा संस्तुत/अनुमोदित लागत **₹ 950.56** लाख (**₹** नौ करोड़ पचास लाख छप्पन हजार मात्र) की प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 में Scheme for Special Assistance to States for Captial Investment for 2023-24 part IV के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त कुल ₹ 05.00 करोड़ (₹ पांच करोड़ मात्र) की धनराशि के नियमानुसार व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. उपरोक्त धनराशि को Scheme for Special Assistance to States for Captial Investment for 2023-24 part-IV के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 15 फरवरी, 2024 द्वारा अनुमोदित कार्य पर नियमानुसार व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
ii. योजना के निर्माण से पूर्व क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्य स्थल के निरीक्षण के उपरान्त सीवरेज योजना के Most Economic /Technically feasible विकल्प का चयन कर यह प्रमाण पत्र देंगे कि इससे अधिक मितव्ययी विकल्प उपलब्ध नहीं है, तदनुसार नियोजन विभाग को भी अवगत कराया जाए।
iii. जनसंख्या की गणना के संबंध में तहसील के पिछले 02 दशक के आंकडों के आधार पर जनसंख्या की गणना करने के उपरांत ही परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए।
iv. कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि सीवरेज कनैक्शन की मांग के अनुरूप न्यूनतम सीवेज की मात्रा का प्रवाह योजना क्रियान्वयन के उपरांत STP तक सुनिश्चित हो।
v. योजना के कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
vi. निर्माण सामग्री यथा रेत बजरी, ईंट, Cement. Steel, Pipe एवं अन्य निर्माण सामग्री का I.S. Code के मानकों के अनुरूप N.A.B.L. Accredited Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाए।
vii. आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु बाजार से दरें ली गयी हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। विशिष्टियों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आंगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।
viii. सिविल निर्माण कार्यो में मानक विशिष्टियों के ओ0पी0सी0–43 ग्रेड सीमेन्ट का यथोचित उपयोग किया जाय।
ix. योजना में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री के संबंध में यथा सम्भव यह प्रयास किया जाए

कि निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप प्रदेश के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए ताकि प्रदेश के अन्तर्गत रोजगार सृजन को बढावा मिले एवं राज्य को करों के रूप में राजस्व की भी प्राप्ति हो सके। इस हेतु ठेकेदारों के साथ किए जाने वाले अनुबन्ध में उक्त का समावेश किया जाए।

x. आगणन में प्राविधानित नॉन शिडयूल मदों के क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

xi. मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

xii. कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य अवश्यमेव करा लिया जाय।

xiii. प्राक्कलन डी0पी0आर0 का पुनरीक्षण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा।

xiv. सीवरेज योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित RCC NP-3 pipe को मानकों तथा कार्यस्थल पर समुचित Alignment के अनुरूप बिछाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

xv. कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

xvi. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार समक्ष प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

xvii. निर्माण कार्य पर अनुमोदित लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाए और न ही अनुमोदित आंगणन में इंगित कार्य एवं मात्रा से अधिक कार्य किया जाए।

xviii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

xix. कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

xx. उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्त व्यय समिति के दिशा–निर्देशो का अक्षरतः पालन सुनिश्चित किया जाय।

xxi. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

xxii. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

xxiii. निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान सं0 07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य भवन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05– विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य–53–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण–वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन सं0 (आई0डी0 संलग्न) से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या

I/11469/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग, अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–I/193825/2024 दिनांक 26 फरवरी, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

Signed by Karmendra Singh
Date: 27-02-2024 12:50:06

(कर्मेन्द्र सिंह)
अपर सचिव

<u>पु0 ई0प0सं 42913/2023, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–जिलाधिकारी देहरादून।
3–अपर सचिव, नियोजन विभाग।
4–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
7–बजट निदेशालय, देहरादून।
8–वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
9–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 27-02-2024 12:55:21

(डी0एम0एस0राणा)
संयुक्त सचिव